

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा नं. 173/19 मुकाम शंजाली बनाम शुल्का वर्ग
तारीख 9-11-2022 नं. A सन्

तारीख हुवम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

9-11-2022

श्रीवक्ता प्रवीं अडवालय राजकीय श्रीवक्ता अडवालय राजकीय श्रीवक्ता ने कथन किया कि जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध स्थानांतरण प्रांप्त पत्र किया गया है, उनका कथन स्थानांतरण हो गया है। अतः प्रांप्त स्थायी जमाना जाने। फर्दवाली का अवेन्युन किया गया जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध स्थानांतरण प्रांप्त पत्र किया गया है, उनका कथन स्थानांतरण हो जाने के पद स्था. प्रा. पत्र कोपिलडिन हो गया है। अतः स्थाना. प्रांप्त स्थायी किया गया है। फर्दवाली जमाना हुआ होकर नं. 173/19 से कथन हो। सुले - पापालय सुनाया गया।

500 नोटियां
खाता नं. 2907
दिनांक 15/11/22
द्वारा श्री
जी. एम. जी.
उत्तर



जिला कलेक्टर
बोसा

